निदेशालय

।। गृह रक्षा राजस्थान, जयपुर ।।

जलेब चौक,जयपुर।
फोन :– 0141–2612591, ,फैक्स : 0141–2603407, ई–मेल : sso1rajhg@hotmail.com
Website : http://rajasthanhomeguards.gov.in/

कमांकः गृरमु/स्था/ई–1 ( ) 2021/14404-40 दिनांकः 08-6-21

:– स्थाई आदेश संख्या–03/2021 –:

1. राज्य सरकार के आदेश कमांकः एफ. 18 (1) गृह–6/94 दिनांकः 15.01.1996 एवम् राजस्थान गृह रक्षा अधीनस्थ सेवा नियम–2021 की अधिसूचना कमांकः एफ. 2 (5) डी.ओ.पी./ए–II/2021 दिनांकः 19.04.2021के बिन्दु संख्या–35 (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में प्रसारित स्थाई आदेश कमांकः नासुगृरमु/संस्था/27973–28037 दिनांकः 17.08.1995 के अतिकमण में आरक्षी से मुख्य आरक्षी के पद पर पदोन्नति हेतु आयोजित योग्यात्मक परीक्षा के लिएं संलग्न पाठ्यकम निर्धारित किया जाता है।

2. विभाग में पदोन्नति हेतु समय–समय पर आयोजित किये जाने वाली योग्यात्मक परीक्षा हेतु विभागाध्यक्ष द्वारा पदोन्नति समिति का गठन किया जावेगा, जो निदेशालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार योग्यात्मक परीक्षा आयोजित करायेगें।

3. पदोन्नति हेतु विभिन्न चरणों में पात्रता हेतु प्राप्त अंको का विवरण निम्नानुसार है :–

   (I) पदोन्नति हेतु आयोजित की जानी वाली लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

   (II) लिखित परीक्षा में 40 प्रतिशत अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी ही परेड़/आऊटडोर परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होगें।

   (III) परेड़ आऊटडोर में 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।

   (IV) लिखित एवम् परेड़ आऊटडोर में समुच्य (कुल) 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाला अभ्यर्थी ही साक्षात्कार के लिए ही पात्र होगा।

   (V) लिखित, परेड आऊटडोर एवम् साक्षात्कार में समग्र रूप से कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही पदोन्नति हेतु चयन सूची में सम्मिलित किया जावेगा।

4. समस्त सफल अथ्यर्थियों का नियमानुसार वर्गवार वरिष्ठता के आधार पर चयन किया जावेगा।

संलग्न :– पाठ्यकम

4/6/21.
(यू. आर. साहू),
महानिदेशक एवम् महासमादेष्टा,
गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।

:: प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु –:

1. निदेशक, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त गण समादेष्टा, सीमा गृह रक्षा दल, राजस्थान।
3. समस्त समादेष्टा, गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, राजस्थान।

महानिदेशक एवम् महासमादेष्टा,
गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।

D:\All Data IP 113\Hari\ESTT\CIRCULAR\PRESENT IN TIME.doc

आरक्षी से मुख्य आरक्षी के पद पर पदोन्नति हेतु आयोजित योग्यात्मक परीक्षा के लिये पाठ्यक्रम

(अ) कुल मूल्यॉंकन — **300 अंक**

1. लिखित परीक्षा — 90 अंक
2. परेड / आउटडोर — 140 अंक
3. रिकॉर्ड एवं साक्षात्कार — 70 अंक

(ब) लिखित परीक्षाः 90 अंक समयः 3 घण्टे

1. राजस्थान पुलिस एक्ट 2007 की धारायें 29,30,47,60
2. राजस्थान गृह रक्षा अधिनियम 1963 एवं इसके तहत बनाये गये नियम
3. गिरफ्तारी की शक्तियां (दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 54 के तहत)
4. गृह रक्षा, नागरिक सुरक्षा एवं फायर सर्विस का संगठन एवं उनके द्वारा दी जाने वाली सेवाएं तथा गृह रक्षा की नागरिक सुरक्षा सेवाओं में भूमिका
5. समसामयिकी / सामान्य ज्ञान (विभाग एवं राज्य से सम्बन्धित)
6. गृह रक्षा का जनता से सम्बन्ध
7. सूचना का अधिकार अधिनियम–2005
8. भण्डार में संधारण किये जाने वाले रिकार्ड सम्बन्धी एवं भण्डार सामग्री का रख रखाव
9. बोर्डर होमगार्ड के कर्तव्य, दायित्व एवं संगठनात्मक ढांचा
10. आपदा प्रबन्धन एक्ट 2005 की सामान्य जानकारी

(स) परेड / आउटडोर टेस्ट : 140 अंक

1. स्क्वाड ड्रिल (व्यक्तिगत प्रदर्शन एवं प्रशिक्षक क्षमता) — 15 अंक
2. राईफल अभ्यास (व्यक्तिगत प्रदर्शन एवं प्रशिक्षक क्षमता) — 15 अंक
3. हथियारों की जानकारी एवं हेण्डलिंग — 25 अंक
4. फिल्ड क्राफ्ट इनक्लूडिंग सेक्शन फॉरमेशन एण्ड फायर ऑर्डर, ईओडी, स्ट्रीट लाईनिंग — 10 अंक
5. लाठी ड्रिल — 10 अंक
6. गार्ड डयूटी — 15 अंक
7. पी.टी.(व्यक्तिगत प्रदर्शन एवं प्रशिक्षक क्षमता) — 15 अंक
8. 5 किमी दौड — 20 अंक

आयु सीमा	समय मिनिट्स में		
	उत्कृष्ट	अच्छा	संतोषप्रद
30 वर्ष से कम	26	27.5	29
30–40 वर्ष	28	29.5	31
40 वर्ष से अधिक	31	32.5	34
उत्कृष्ट– 20 अंक, अच्छा– 15 अंक, संतोषप्रद– 10 अंक			

9. टर्न आउट — 5 अंक

4/6/24.

(द) रिकॉर्ड एवं साक्षात्कार : **70 अंक**

1. शिक्षा 05 अंक

क.सं.	कक्षा	अधिकतम अंक
I	मैट्रीक	1
II	हायर सैकेण्ड्री	2
III	10+2	3
IV	स्नातक	4
V	स्नात्कोतर / डिप्लोमा	5

2. **प्रशिक्षण** **10 अंक**

क.सं.	प्रशिक्षण	अंक
I	केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर	1 अंक (प्रत्येक प्रशिक्षण के लिये)
II	राज्य के बाहर प्रशिक्षण	2 अंक (प्रत्येक प्रशिक्षण के लिये)

3. **पुरस्कार और सजाऐं** **20 अंक**

(I) पुरस्कार : 10

अ	राष्ट्रपति शौर्य (गैलेन्ट्री) और विशिष्ट सेवा पदक	07
ब	गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा शौर्य (गैलेन्ट्री) अथवा सराहनीय सेवा पदक	06
स	राज्य स्तरीय एवं महानिदेशक गृह रक्षा डिस्क एवं प्रशस्ति पत्र	03
द	नकद पुरस्कार के साथ प्रशस्ति प्रमाण पत्र / प्रशंसा पत्र समादेष्टा एवं उपर के अधिकारी द्वारा	02
य	प्रशस्ति प्रमाण पत्र / प्रशंसा पत्र समादेष्टा एवं उपर के अधिकारी द्वारा	01

(II) सजायें : (कोई सजा नहीं होने पर) **10 अंक**

विभागीय कार्यवाही में विभिन्न प्रकार के दण्ड के लिये अंकों की कटौती निम्न प्रकार होगी (प्रत्येक दण्डादेश हेतु) :–

अ.	परिनिन्दा	01
ब	ग्रेड वेतन वृद्धि रोक (भविष्य प्रभाव के बिना)	02
स	ग्रेड वेतन वृद्धि रोक (भविष्य प्रभाव के साथ)	03
द	अन्य वृहद सजाऐं	05

4/6/24.

नोट :– पुरस्कार एवं दण्ड के लिये आवंटित 20 अंकों में से 10 पुरस्कार के लिये एवं 10 सजाओं के लिये निर्धारित किये गये हैं। पुरस्कार की अच्छी प्रविष्टियों के लिये 10 अंक अधिकतम दिये जायेंगे। पुरस्कार के अंकों की गणना 0 से 10 अंको के आधार पर होगी, सजाओं के अंको की गणना 10 से 0 अंको के आधार पर होगी। यदि किसी अभ्यर्थी के रिकार्ड पर कोई सजा नहीं है तो वह 10 अंक प्राप्त करेगा। प्रत्येक सजा की प्रविष्टि पर उसके कुल 10 अंको में से कटौती होगी। रिवार्ड के कुल 10 अंको में से प्राप्त किये गये अंक तथा सजाओं के कुल 10 अंको में से शेष रहे अंको को जोड उस अभ्यर्थी के इस मद में कुल अंक प्राप्त होंगे। सजाओं के अन्तर्गत अधिकतम 10 अंक तथा न्यूनतम 0 अंक मिलेंगे। आरक्षी पदावधि के दौरान मिले हुये पुरस्कार व सजा के अंको की ही गणना की जावेगी।

4. वार्षिक कार्य मूल्यांकन (एपीएआर रिपोर्ट) (पिछले पांच वर्षों की) **15 अंक**

I उत्कृष्ट	05
II बहुत अच्छा	04
III अच्छा	03
IV संतोषजनक	02
V असंतोषजनक	शून्य

नोट :– यदि पिछले पांच वर्षों में किसी वर्ष की एपीएआर उपलब्ध नहीं है तो उपरोक्त पांच वर्षों के ठीक पूर्व वर्ष की एपीएआर को शामिल किया जाए।

5. साक्षात्कार **20 अंक**

I व्यक्तित्व
II एप्टीट्यूड (अभिरूचि)
III नेतृत्व का गुण
IV सामान्य ज्ञान
V सम्प्रेक्षण क्षमता

(हस्ताक्षर) 4/6/24

(यू. आर. साहू)
महानिदेशक एवं महासमादेष्टा,
गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर